Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide land rights in forest areas to economically weaker people belonging to general and other backward classes-laid.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): विगत 40-50 वर्षों से आदिवासी के साथ वन क्षेत्रों में निवासरत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के भी वन क्षेत्र के छोटे-छोटे किसान भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य करते हुए काबिज हैं, यही भूमि इनकी आजीविका का एकमात्र साधन है । वन अधिकार कानून के तहत गरीब आदिवासी भाइयों को वन अधिकार पट्टा देकर भूमि का स्वामित्व दिया गया है । उसी प्रकार पूर्व से काबिज सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के उन गरीब किसानों को भी वन अधिकार पट्टा दिए जाने का प्रावधान हो ताकि उक्त भूमि में कृषि कार्य करने हेतु शासन से दी जाने वाली सुविधा का किसान लाभ ले सके ।

अतः सरकार से गुजारिश है कि उक्त गरीब सामान्य और पिछड़ा वर्ग को भी वन अधिकार पट्टा मिले । मैं यह मांग करता हूँ ।